

परिशिष्ट - III

आउटसोर्सिंग के तहत न दी जाने वाली आईटी सेवाएं

ए. इस मास्टर निदेश के प्रयोजन के लिए "आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग" के तहत नहीं मानी जाने वाली सेवाएं/गतिविधियां (एक सांकेतिक सूची लेकिन संपूर्ण नहीं)

- i. कॉर्पोरेट ग्राहकों / अन्य विनियमित संस्थानों के उप सदस्यों के रूप में विनियमित संस्थानों द्वारा प्राप्त की गई कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं
- ii. बाह्य लेखापरीक्षा जैसे भेद्यता आकलन/प्रवेश परीक्षण (वीए/पीटी), सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, सुरक्षा समीक्षा
- iii. एसएमएस गेटवे (ब्लक एसएमएस सेवा प्रदाता)
- iv. आईटी हार्डवेयर/उपकरणों की खरीद
- v. लाइसेंस या सदस्यता के आधार पर आईटी सॉफ्टवेयर / उत्पाद / एप्लिकेशन (जैसे सीबीएस, डेटाबेस, सुरक्षा समाधान, आदि) का अधिग्रहण और इसके विक्रेता द्वारा ऐसे लाइसेंस प्राप्त तीसरे पक्ष एप्लिकेशन में कोई वृद्धि (अपग्रेड के रूप में) या विशिष्ट आधार पर विनियमित संस्थान द्वारा किए गए परिवर्तन अनुरोध
- vi. आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर या लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा स्वयं प्रदान की गई कोई रखरखाव सेवा (सुरक्षा पैच, बग फिक्स सहित), ताकि विनियमित संस्था द्वारा इसका निरंतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके
- vii. वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों या सीसीआईएल, एनएसई, बीएसई आदि जैसे संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए अनुप्रयोग।
- viii. रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, स्विफ्ट आदि इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म।
- ix. विनियमित संस्था द्वारा सब्सक्राइब किए गए कोई भी अन्य तुरंत उपलब्ध उत्पाद (जैसे एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर, ईमेल समाधान, आदि) जिसमें बिना किसी/न्यूनतम अनुकूलन के केवल एक लाइसेंस प्राप्त किया गया हो।
- x. किसी अन्य विनियमित संस्था से केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) के उप-सदस्य के रूप में विनियमित संस्था द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं
- xi. व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) सेवाएं, पेट्रोल प्रसंस्करण, स्टेटमेंट प्रिंटिंग

बी. विक्रेता / संस्थाएं जिन्हें इस मास्टर निदेश के प्रयोजन के लिए तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है (एक सांकेतिक सूची लेकिन संपूर्ण नहीं)

- i. आईटी का उपयोग करके व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने वाले विक्रेता जैसे - बी.सी.
- ii. भारत में भुगतान प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक

- iii. साझेदारी आधारित फिनटेक फर्म जैसे कि सह-ब्रांडेड एप्लिकेशन, सेवा, उत्पाद प्रदान करने वाली कंपनियां (वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के तहत विचार किया जाएगा)
- iv. डेटा पुनर्प्राप्ति, डेटा सत्यापन और सत्यापन सेवाओं के लिए फिनटेक फर्मों की सेवाएं जैसे (सूची संपूर्ण नहीं है):
 - ए. बैंक विवरणी विश्लेषण
 - बी. जीएसटी विवरणी विश्लेषण
 - सी. वाहन की जानकारी प्राप्त करना
 - डी. डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन
 - ई. डाटा एंट्री और कॉल सेंटर सेवाएं
- v. दूरसंचार सेवा प्रदाता जिनसे लीज्ड लाइन या अन्य समान प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं और डेटा के प्रसारण के लिए उपयोग की जाती हैं
- vi. स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षक/परामर्शदाता/प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता के रूप में प्रमाणन/लेखापरीक्षण/आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित वीए-पीटी/आईटी सेवाओं/सूचना सुरक्षा सेवाओं हेतु नियुक्त सुरक्षा/लेखापरीक्षण सलाहकार।
